

प्रेषक

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 23 नवम्बर, 2020

विषय:-

जनपद झांसी में झांसी-भगवन्तपुरा-मऊरानीपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-39 के किमी० संख्या-01 से 04 तक बांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना फेस-1 के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाने जाने में प्रभावित 0.40 हे० संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में (प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/वाटर/ 47013/2020)

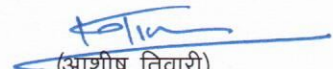
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1141/11-सी-एफपी/यूपी/वाटर/ 47013/2020, दिनांक 12-11-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत निम्न कमियां पायी गयी है:-

- (1) पार्ट-1 के बिन्दु- ~~4~~-1(एक्स) में समय-सीमा (अवधि) कुल 50 वर्षों हेतु प्रस्तावित है। जबकि पृष्ठ- 43 पर रक्षित प्रमाण पत्र में 30 वर्ष अंकित है। समयावधि में अंतर क्यों है, स्पष्ट किया जाय?
- (2) परियोजना की अवधि के संबंध में भूस्वामित्व वाले विभाग (लो०नि०वि०) की सहमति प्राप्त है अथवा नहीं ? स्पष्ट कराते हुये समयावधि भी अंकित किया जाय।

2- अतः उपरोक्त कमियों का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

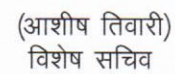

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) वन संरक्षक, झांसी।
- (2) प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
- (3) श्री आशीष कुमार रावत सहायक परियोजना अभियंता, अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम झांसी।

आज्ञा से,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव